SERIES II No. : 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU (UT)
DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS,
SECRETARIAT, DAMAN

No.AHVS/DMN/VO-RR/2017-18/1911 Dated:- 11/09/2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs letter No.U-14012/13/2012-CPD dated 1st February, 2016, the Administrator of Daman & Diu is pleased to make the following Rules relating to recruitment to the General Central Service, Group "A" Gazetted (Non-Ministerial) post of Veterinary Officer in the U.T. Administration of Daman and Diu namely:

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

(i) These rules may be called the Administration of Daman & Diu, **Veterinary Officer,** General Central Services, Group 'A' (Gazetted, Non-Ministerial), posts Recruitment Rules, 2017.

(ii) They shall apply to the posts specified in column – 1 of the schedule to these Rules.

(iii) These rules will come into effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and will relate to appointment to the various posts made on or after this date.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY:

The Number of Posts, classification of the said posts and Scale of Pay attached thereto shall be as specified in column-2 to 4 of the Schedule to these rules: Provided that, the Administrator of Daman & Diu may vary the number of posts in column 2 of the said Schedule from time to time subject to exigencies of work.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND OTHER QUALIFICTIONS.

The Method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

Contd......

SERIES II No. : 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

4. DISQUALIFICATION:

No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service provided that, the Administrator, Daman and Diu, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. POWER TO RELAX:

Where the Administrator of Daman and Diu is of the opinion that, it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. SAVING:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for Schedule Castes, and Schedule Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

This is issued with the approval of the Union Public Service Commission conveyed under their letter File No. 3/33(2)/2017-RR dated 10/07/2017.

By Order and in the name of the
Administrator of Daman and Diu.

Sd/-
(**Gurpreet Singh**)
Deputy Secretary(Pers.), Daman.

***

SERIES - II No. 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

SCHEDULE

ANNEXURE - I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF VETERINARY OFFICER

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY SERVICES, DAMAN.

Name of the post	No. of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age Limit for Direct Recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
Veterinary Officer	2 (2017) Subject to Variation Dependent on Workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level 10	N.A.	Not Exceeding 35 Years. Note:- 1 (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note:-2 The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K state, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (I) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University/ Institution. (II) Registered with Veterinary Council of India or State Veterinary Council. (III) Practical Experience in the Veterinary Dispensary or Hospital or a Dairy/Poultry farm, for not less than three years. DESIRABLE: Knowledge of local language(s) (I) Gujarati, and (II) Hindi Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of Candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Contd.........

SERIES - II No. 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption & % of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion / Deputation / Absorption Grades from which Promotion / Deputation / Absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment.
8.	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13**
N.A.	2 Years for Direct Recruits	By Deputation including Short-Term Contract failing which by direct recruitment.,	Deputation (ISTC): Officers under the Central / State Governments/Union Territories/Semi-Governments/Recognized Research Institutions/Universities/PSUs/Statutory or Autonomous Bodies: (A) (I) Holding Analogous Posts on Regular Basis in the parent cadre/department; or (II) With three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix in the parent cadre/department; and (B) Possessing the Educational Qualifications and Experience prescribed for direct recruits under column 7. Note: (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Group 'A' Departmental Confirmation Committee: 1) Advisor to the Administrator, Daman & Diu - Chairman, 2) Concerned Collector - Member, 3) Managing Director (OIDC) - Member, 4) Deputy Conservator of Forest, Daman & Diu - Member, 5) Director of Accounts, Daman & Diu - Member, 6) Secretary (AHVS), Daman & Diu - Member,	Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion.

Sd/-
(**Gurpreet Singh**)
Deputy Secretary(Pers.), Daman.

SERIES II No. : 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

दमण एवं दीव प्रशासन (संघ प्रदेश)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
सचिवालय, दमण - **396 220.**

सं. ए.एच.वी.एस./दमण/वी.ओ.-भर्ती नियम/2017-18/1911 दिनांक :-11/09/2017

अधिसूचना

प्रशासक, दमण एवं दीव एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक एवं उसके साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की पत्र सं.यू-14012/13/2012-सीपीडी, दिनांक 01 फरवरी,' 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन में सामान्य केंद्रीय सेवा, वर्ग-"क", पशुचिकित्सा अधिकारी के राजपत्रित (अलिपिकवर्गीय) पदों के लिए भर्ती से संबन्धित निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-**

(i) इन नियमों को दमण एवं दीव प्रशासन, **पशु चिकित्सा अधिकारी**, सामान्य केंद्रीय सेवा, वर्ग-"क" (राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) पदों की भर्ती नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम इस नियमावली की अनुसूची के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होगा ।

(iii) ये नियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा और इस तिथि को या उसके बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगा ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-**

इससे संबद्ध पदों की संख्या, उक्त पदों का वर्गीकरण एवं वेतनमान वही होंगे, जो इस नियमावली के साथ संलग्नित अनुसूची के स्तंभ -2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं : बशर्ते की प्रशासक दमण एवं दीव कार्य की आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुसूची क स्तंभ.2 में पदों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन कर सकते है।

जारी..........

3. **भर्ती की पद्धति; आयु सीमा एवं अर्हताएं आदि :-**

उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं एवं उनसे संबंधित अन्य मामले वही होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **अनर्हता:-**

ऐसा कोई व्यक्ति (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी / जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी / अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबन्ध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र - नहीं होगा। परंतु केंद्र सरकार यदि सहमत हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिक विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुमेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं।

5. **नियम शिथिल करने की शक्ति :-**

जहाँ प्रशासक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में शिथिल कर सकते हैं ।

6. **व्यावृत्ति :-**

इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जानेवाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नहीं होगा ।

इसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके पत्र फाइल सं.3/33(2)/2017-भर्ती नियमावली, दिनांक 10.07.2017 के तहत दिये गए अनुमोदन पर जारी किया जाता है।

प्रशासक, दमण एवं दीव और दादरा एवं
नगर हवेली के आदेश एवं नामानुसार

ह/-

(गुरप्रीत सिंह)
उप-सचिव (कार्मिक), दमण

***

SERIES - II No. 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

अनुसूची

अनुलग्नक -1

पशु पालन एवं पशु सेवा विभाग, दमण में पशु चिकित्सा अधिकारी पद हेतु भर्ती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवेल	चयन अथवा गैर चयन पद है।	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
पशु-चिकित्सा अधिकारी	2 (2017) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	सामान्य केंद्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	लेवल-10	लागू नहीं	35 वर्षों से अधिक नहीं टिप्पणी -1 (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्षों की छूट) टिप्पणी - 2 आयु सीमा के निर्धारण हेतु नियत तिथि भारत के अभ्यर्थिओं से आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी, (और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभार, लाहूल एवं स्पीति जिल्ला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला का पांगी उपप्रभार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षवाद्वीप हेतु निर्धारित अंतिम तिथि)	**अनिवार्य :** (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन में स्नातक डिग्री। (II) भारत के पुश-चिकित्सा परिषद या राज्य पशु-चिकित्सा परिषद से पंजीकृत। (III) पशु-चिकित्सा औषधालय या अस्पताल या डेयरी/पोल्ट्री फार्म में न्यूनतम तीन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव **वांछनीय** :- स्थानीय भाषा(ओं) (I) गुजराती एवं (II) हिन्दी का ज्ञान नोट 1: अन्यथा तौर पर योग्य अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप से अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हता में छूट दी जा सकती है। नोट 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप से अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों से इन आरक्षित पदों को भरने हेतु अपेक्षित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

जारी.........

SERIES - II No. 36
DATED : 22ND SEPTEMBER, 2017.

क्या सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नत उम्मीदवारों के मामलो में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका गठन	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8.	9.	10.	11.	12.	13.
लागू नहीं	सीधी भर्ती उम्मीदवारों हेतु 2 वर्ष	अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.): केन्द्रीय / राज्य सरकारों / संघ प्रदेशों / अर्द्ध-सरकारी / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों / सार्वजनिक उपक्रम / वैधानिक या स्वायत्त निकाय के तहत कार्यरत अधिकारी: (क) (I) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों पर तैनात; या (II) मूल संवर्ग / विभाग में वेतन-मैट्रिक में लेवल-9 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि से ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती उम्मीदवारों हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हों। नोट: (केन्द्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि (आई.एस.टी.सी.) सहित प्रतिनियुक्ति अवधि (आई.एस.टी.सी.) सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।)	वर्ग - 'क' विभागीय पुष्टि समिति 1) प्रशासकके सलाहकार, दमण एवं दीव - अध्यक्ष 2) संबंधित समाहर्ता - सदस्य 3) प्रबंधक निदेशक (ओ.आई.डी.सी.) - सदस्य 4) वन उप-संरक्षक, दमण एवं दीव - सदस्य 5) लेखा निदेशक, दमण एवं दीव - सदस्य 6) सचिव (पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा) - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

ह/-
(गुरप्रीत सिंह)
उप-सचिव (कार्मिक), दमण

Government Printing Press, Daman - 09/2017 – 250.
[Price Rs.7.00]